दिनांक 21.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 279/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बस्ती, गोण्डा तथा आगरा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 21.05.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बस्ती, गोण्डा तथा आगरा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बस्ती इकाई द्वारा श्री वर्मा विनय कुमार निवासी ग्राम बढ़या थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती से आगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक उदय प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यालय सहायक विकास अधिकारी ब्लाक कप्तानगंज बस्ती से **सफाई कर्मचारी शिवमूरत (सम्बद्ध कार्यालय सहायक विकास अधिकारी ब्लाक कप्तानगंज बस्ती)** पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी ग्राम पोखरा बाजार थाना नगर जनपद बस्ती को **25 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई द्वारा सुपरवाइजर शिवचरन लाल (कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बलरामपुर) निवासी धुसाह थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाँच कर प्रतिहस्ताक्षरित कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के मेन गेट के सामने रोड से **वरिष्ठ सहायक मोहनलाल जायसवाल (कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बलरामपुर)** पुत्र स्व0 रामप्यारे जायसवाल निवासी ग्राम फुलवरिया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3- भ्रष्टाचार निवारण संगठन आगरा इकाई द्वारा श्री पंकज पटेल निवासी तेहरा रावत फतेहपुर सीकरी कमिश्नरेट आगरा से वरासत में नाम दर्ज करवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री सुबोध कुमार के नेतृत्व में चकबन्दी कार्यालय आगरा से **चपरासी राजेश कुमार (चकबन्दी)** पुत्र स्व0 मेवाराम निवासी भिकनपुर एत्मादपुर कमिश्नरेट आगरा को **04 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 21.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 280/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–सांसी गैंग का सक्रिय सदस्य व रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी सुरेन्द्र आगरा से गिरफ्तार।

दिनाकः 21–05–2026 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना कोतवाली सदर में पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2020 धारा–419/420/467/468/471/120(बी) भादवि में वांछित रू0 50000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेन्द्र को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1–सुरेन्द्र पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राम असरफगढ़, थाना सदर, जिला जींद, हरियाणा।

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

सीओडी ग्राउण्ड के पास थाना क्षेत्र सदर, कमिश्नरेट आगरा। दिनांक 21–05–2026 समयः 13:40 बजे।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधो में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयो/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 योगेन्द्र सिंह, मु0आ0 एपी रवेन्द्र सिंह, मु0आ0 नवीन प्रताप सिंह, मु0आ0 बृजराज सिंह, मु0आ0 विमल सिंह, मु0आ0 दिनेश चौधरी के जनपद आगरा में भ्रमणशील थे, उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली कमिश्नरेट कानपुर नगर से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी सुरेन्द्र पुत्र निहाल सिंह उपरोक्त सीओडी ग्राउण्ड के पास थाना क्षेत्र सदर में मौजूद है और कही जाने की फिराक में है, अगर जल्दी की जाये तो पकड़ा

जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर, एस0टी0एफ0 टीम द्वारा मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँच कर उक्त वांछित/ईनामी अभियुक्त सुरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह हरियाणा में सक्रिय सांसी गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एवं अन्य प्रान्तों में भी ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों के लगेज/सामान से मौका पाकर लूट/चोरी का अपराध करते हैं, इसी कारण उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर जी0आर0पी0 द्वारा कई अभियोग हम लोगों के विरुद्ध लिखे गये हैं, जिस पर पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा लगा दिया था। मुकदमों में जमानत नहीं मिलने के कारण फर्जी तरीके से जमानत करा ली, इस कारण वह किसी भी तारीख पर फिर से न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ कोतवाली, कानपुरनगर में फर्जी प्रपत्र लगाकर जमानत कराने के सम्बन्ध में मुकदमा लिखाया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए यह इधर–उधर स्थान बदल–बदलकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 316/2020 धारा–419/420/467/468/471/120(बी) भादवि थाना कोतवाली सदर कमिश्नरेट आगरा में दाखिल किया किया गया है, जो पूर्व से पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>सुरेन्द्र पुत्र निहाल सिंह का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–</u>

1–मु0अ0सं0 0383/2018 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी कानपुर।

2–मु0अ0सं0 0483/2018 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी कानपुर।

3–मु0अ0सं0 30/2019 धारा 356/379/380/411 भादंवि थाना जीआरपी कानपुर।

4–मु0अ0सं0 51/2019 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी कानपुर।

5–मु0अ0सं0 59/2019 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी कानपुर।

6–मु0अ0सं0 127/2019 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी कानपुर।

7–मु0अ0सं0 132/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना जीआरपी कानपुर।

8–मु0अ0सं0 316/2020 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादंवि थाना कोतवाली कमिश्नरेट, कानपुर नगर।

जनपद सुलतानपुर/थाना बंधुआकला

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.05.2026 को थाना बंधुआकला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लंगडी नहर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आयुष को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बंधुआकला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बंधुआकला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आयुष निवासी मैकू लाला का पुरवा थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना अंकुर विहार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 18 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 21.05.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—अमजद 2—विलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 18 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमजद निवासी 20 फुटा रोड प्रेमनगर थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—विलाल निवासी नसबंदी कॉलोनी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 18 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद मेरठ/थाना लिसाड़ी गेट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध पिस्टल .32 बोर**
- **21 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध मैगजीन**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 21.05.2026 को थाना लिसाड़ी गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिलोखड़ी पुल के पास से अभियुक्त 1–शुऐब उर्फ शोएब उर्फ सैफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर अभियुक्त 2–शान ईलाही उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध पिस्टल .32 बोर, 21 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध मैगजीन, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लिसाड़ी गेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शुऐब उर्फ शोएब उर्फ सैफ निवासी तारापुरी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

2–शान ईलाही उर्फ सोनू निवासी तेली वाली गली थाना नौचंदी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–05 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध पिस्टल .32 बोर।

2–21 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध मैगजीन।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 20.05.2026 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–60 से 04 अभियुक्तों 1–पुष्पेन्द्र 2–राजू 3–ब्रजेश 4–लोकेश को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पुष्पेन्द्र निवासी जमालपुर थाना जुनावई जनपद सम्भल, हालपता विशनपुरा सेक्टर–57 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–राजू निवासी ग्राम काशीपुर थाना जुनावई जनपद सम्भल।

3–ब्रजेश निवासी ग्राम बिराहपटी थाना धनारी जनपद सम्भल, हालपता दीप विहार कॉलोनी थाना लालकुआ कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–लोकेश निवासी ग्राम बिराहपटी थाना धनारी जनपद सम्भल, हालपता वन्दना एन्कलेव खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 15 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 55 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 21.05.2026 को थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर श्यामगंज चौराहे से विकास भवन की तरफ जाने वाले रास्ते से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्तों 1–पवन 2–अभिषेक 3–पिंकू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 55 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पवन निवासी घघौरा पिपरिया मॉडल विलेज थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

2—अभिषेक निवासी ग्राम केंलिपाई थाना दातागंज जनपद बदायूँ।

3—पिंकू निवासी ग्राम पवारी थाना भमौरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 55 ग्राम अवैध अफीम।

- **जनपद रायबरेली/थाना भदोखर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना भदोखर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2)/34 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—सिद्धार्थ 2—प्रमोद को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना गोरखनाथ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मवीर को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद उन्नाव/थाना माखी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना माखी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए भादवि व 4 डीपी

एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को आजीवन कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना चरखारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना चरखारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बब्लू उर्फ जयहिन्द को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————